न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प ऐट इन्दौर

निगरानी – 3976/2018/धार/भू.रा.

सुन्दरलाल पिता राधेश्याम जाट, आयु 40 वर्ष,
जाति जाट, धंधा कृषि, निवासी ग्राम दिलावरा
तह. व जिला धार म.प्र. .... निगरानीकर्ता

कार्यालय ... संभाग इन्दौर
श्री ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 12-06-2018
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

617
12-06-2018

विरूद्ध

1. श्रीमति गंगाबाई पति भागीरथ, आयु 70 वर्ष, धंधा कुछ नही, निवासी ग्राम दिलावरा तह. व जिला धार
2. भागीरथ पिता पन्नालाल जाट, आयु 75 वर्ष, धंधा कुछ नही, निवासी ग्राम दिलावरा तह. व जिला धार .... विपक्षगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय न्यायालय ,

विपक्षीगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार के समक्ष नामान्तरण पंजी द्वारा आदेश दिनांक 02/10/2006 से असंतुष्ट होकर एक अपील प्रस्तुत की थी जिसमें विपक्षी के द्वारा पृथक से एक धारा 5 म.प्र. भू.रा.सं. का आवेदन प्रस्तुत किया था जो अपील प्रकरण कमांक 27/अपील 2017–18 पर दर्ज हुआ था जिसमें अनुविभागीय अधिकारी महोदय धारा 5 पर दिनांक 23/05/2018 को तर्क श्रवण कर दिनांक 23/05/2018 को प्रोसेडिंग पर आदेश पारित कर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी के द्वारा नकल के दिन मुजरे जाते उक्त निगरानी अंदर अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

आधार निगरानी

1. यह कि अधिनस्थ विद्वान न्यायालय का प्रोसडिंग आदेश दिनांक 23/05/2018 को न्याय, कानून एवं प्रकरण पत्रिका के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (सुन्दरलाल विरूद्ध गंगाबाई)

प्रकरण क्रमांक

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अनुराग व्यास द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी धार के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 23-5-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदकपक्ष का अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया है, परन्तु आदेश में धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने का कारण नहीं दर्शाया गया है । अत: अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सर्वप्रथम अनावेदकपक्ष के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	